

यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम


फर्द अहकाम

सु.नं 13/18 तारीख 20.3.18

उमवान - रमजो बमाम विसम लला तेली
पदमपुरा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थीया की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट
ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 812
S.P. Act के तहत पेश किया। प्रस्तुत जमाबन्दी व शपथ पत्र
का अवलोकन किया। प्रार्थीया व सील की एक तरफ बहस
सुनी गयी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में होना
प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीयों को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा
से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम पदमपुरा के आराजी शब
नं 294 रकबा 39 हेयर भूमि की आगामी बेशी तक रिमांड
की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र दर्जरी अर्द्ध कर
अप्रार्थीयों को जरिये जोरिस से तालब कर दिनांक
6.4.18 को पेश है।




जवेद अख्तार
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम

951-55
20-3-18


6.4.18

प्रार्थी वकील उपर। अपील नं 1104 की डीटले श्री
नंदराम बेरा Adv. उपस्थित है। अपील नं 5 अप्रार्थी
सूचना उपस्थित नहीं है। उन्हें खिलाफ एक पक्षीय
प्रार्थना की जाती है व फालतुरामा व जसब पेश
करने दिनांक 4.5.18 को पेश है।

1104 की डीटले

नंदराम बेरा
Adv.

4.5.18

पत्रावली हाजिर लोक अदालत शिविर पदमपुरा
नं दिनांक 28.6.18 को पेश है।



प्रार्थी वकील उप... अधीन वकील उप... नहीं। कई बार आवाज
दिलवाई। फिर भी अप्रार्थी वकील एवं अप्रार्थी। ता. 4 उपस्थित
नहीं थी अतः अप्रार्थी नं. 1 ता. 4 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्य
की जाती है। वास्ते बरहस दिनांक 18.7.19 को पेश हो।

18-7-19
प्रार्थी वकील उपस्थित/पीठसम अधिकारी उप...
पर पदार् है। अतः पत्रावली गतानुसार
दिनांक 14-7-19 को पेश हो।

18
प्रार्थी वकील उप... प्रार्थी वकील की बरहस सुनी गई।
बरहस पर मनन किया गया, पत्रावली में शामिल
दस्तावेजों का अवलोकन किया। मूल दावा घोषणा
खातेदारी का प्रस्तुत किया गया है दिनांक 20.3.18
को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को
दावा के निस्तारण होने तक कन्फर्म किया जाना
उचित पाता है। अतः अप्रार्थी गण को पाबन्द किया
जाता है कि दावा के निस्तारण होने तक ग्राम
पदमपुरा की भूमि खसरा नम्बर 284 रकबा 0.39 हे०
पर रिकार्ड की यथा स्थिते बनाये रखें। पत्रावली के संख्या
सुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के
साथ संलग्न रहे।

